[ 2019 ] 9 एस. सी. आर 828

प्रशांति चिकित्सा सेवाएँ और अनुसंधान

फाउंडेशन

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

( 2019 की सिविल अपील संख्या 5849)

25 जुलाई, 2019

[ अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961-धारा 7 की उप-धारा। 35 ए. सी.-की वैधता-वर्ष 2014 में अपीलार्थी ने यू/एस आवेदन दायर किया। 35 एसी से

सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति

उनके अस्पताल परियोजना को मंजूरी देने के लिए ताकि किसी भी 'निर्धारिती' को किसी भी राशि का भुगतान करके खर्च करने में सक्षम बनाया जा सके।

अपीलार्थी को उनकी अनुमोदित अस्पताल परियोजना के निर्माण के लिए राशि और तदनुसार इस तरह की उचित कटौती का दावा करें। पिछले वर्ष के दौरान उनकी कुल आय से भुगतान सरकार ने अपीलार्थी यू/एस की परियोजना सहित 28 परियोजनाओं 'योग्य परियोजनाओं' को मंजूरी दी। 35 ए. सी.-अपीलार्थी ने वर्षों 2015-2016 और 2016-2017-के दौरान कई निर्धारिती से दान प्राप्त किया।

मूल्यांकनकर्ताओं ने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए कटौती का दावा किया-हालांकि, कटौती का लाभ मूल्यांकन वर्ष से बंद कर दिया गया था

2018-2019 एस की उप-धारा 7 को सम्मिलित करके। 35 एसी-अपीलार्थी

आग्रह किया कि वे वित्तीय वर्ष में अपनी परियोजना के लिए दान के माध्यम से अधिक राशि प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे 2017-2018-लिखें

उप-धारा 7 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अपीलार्थी की याचिका। 35 - उच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः वास्तविक पीड़ित पक्ष, जिन्हें धाराओं में उप-धारा (7) को सम्मिलित करके व्यथित महसूस करना चाहिए था। 35 अधिनियम के एसी, वे निर्धारिती यानी दाता थे जो भुगतान करने के बावजूद

अपीलार्थी को दान में कटौती का दावा करने की अनुमति नहीं थी

वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी कुल आय से उक्त राशि

2017-2018 ( निर्धारण वर्ष 2018-2019)-हालाँकि, किसी भी निर्धारिती ने शिकायत नहीं की है-इसके अलावा, न तो अपीलार्थी और न ही

निर्धारिती के पास वादा रद्द करने की याचिका स्थापित करने का कोई भी अधिकार है

विधायी शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध, जैसे कि अधिनियम की धारा 35 कग में उप-धारा 7 को सम्मिलित करते समय प्रयोग की गई शक्ति-इसके अलावा, इस उप-धारा को सभी के लिए समान रूप से लागू किया गया था।

संभावित रूप से-वर्ष के लिए कटौती का दावा करने के लिए योग्य परियोजनाओं को राशि दान करने का समय भी समाप्त हो गया है-इस प्रकार, ऐसे निर्धारिती को 2017 की अवधि के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

2018 – किसी कर मामले में, राजस्व के तहत करदाता के अधिकारों का निर्णय करते समय न तो किसी इक्विटी की कोई भूमिका होती है और न ही कठिनाई की। इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. यह विवाद में नहीं है कि समिति द्वारा 28 परियोजनाओं को अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन

2. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी भी पात्र परियोजना को राशि का भुगतान करने का दावा करने वाले निर्धारिती (डोनी) में से कोई भी नहीं आया। आगे शिकायत की कि अपनी परियोजना के लिए अपीलार्थी को राशि दान करने के बावजूद, उन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 35 एसी की उप-धारा (7) के आधार पर अपनी कुल आय से ऐसी राशि की कटौती का दावा करने के लाभ से वंचित कर दिया गया था। यह विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा 35 एसी के तहत उपलब्ध कटौती का लाभ सभी निर्धारिती द्वारा दो वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2015-2016 और 2016-2017 के लिए विधिवत रूप से लिया गया था। [ पारस 22,23] [840-ई-एफ] [2019] 9 एस. सी. आर.

3. विवाद अब केवल तीसरे वित्तीय वर्ष तक सीमित है, अर्थात 2017-2018 क्योंकि इस वर्ष के लिए, निर्धारिती नहीं थे।

01.04.2017 से अधिनियम की धारा 35AC प्रभावी है। [ पैरा 24] [840-जी-एच] 4. जैसा कि प्रत्यर्थी (राजस्व) द्वारा सही तर्क दिया गया है, इसके खिलाफ निर्धारिती के लिए प्रतिभूति रोक की याचिका उपलब्ध नहीं है।

विधायी शक्ति का प्रयोग और न ही किसी निर्धारिती को कोई कर रियायत देने के मामले में कोई निहित अधिकार प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, न तो अपीलार्थी और न ही निर्धारिती को विधायी शक्ति के प्रयोग के खिलाफ वचन-निषेध याचिका दायर करने का कोई अधिकार है, जैसे कि अधिनियम की धारा 35 एसी (मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड) में उप-धारा (7) को सम्मिलित करते समय प्रयोग की गई शक्ति और अन्य मामले जिन पर अपीलकर्ता और निर्धारिती भरोसा करते हैं। प्रत्यर्थी के लिए वकील-राजस्व)। यह तब अधिक होता है जब इस न्यायालय को पता चलता है कि इस उप-धारा को सभी के लिए समान रूप से लागू किया गया था-अपीलार्थी संभावित रूप से। [ पैरा 26] [841-सी-डी]

5. यह विवाद में नहीं है कि अब कुल आय से कटौती का दावा करने के लिए योग्य परियोजनाओं को राशि दान करने का समय आ गया है।

वर्ष 2017-2018 समाप्त हो गया है। यह अब समय के प्रवाह के कारण उपलब्ध नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, भले ही अपीलार्थी अपनी परियोजना के लिए किसी भी निर्धारिती से कोई राशि प्राप्त करने पर, ऐसे निर्धारिती को 2017-2018 अवधि के लिए या किसी भी बाद की अवधि के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [ पैरा 27] [841-ई]

6. हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा यह कहा गया था कि उन्हें वर्ष 2017-2018 के दौरान विभिन्न संस्थाओं से 3.84 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकनकर्ता। यह भी कहा गया था कि यदि उप-धारा (7) अपीलार्थी की परियोजना पर लागू नहीं होती तो अपीलार्थी

रुपये से बहुत अधिक राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान 3.84 करोड़ रुपये, जो सम्मिलन से पहले दो वर्षों में अपीलार्थी द्वारा प्राप्त राशि से स्पष्ट है।

उप-धारा (7), अर्थात रु। 10.97 वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान करोड़ और रु। 20.55 वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान करोड़ रुपये 2017. इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं है। एक कर कानून में, इक्विटी या/और कठिनाई पर आधारित एक याचिका कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। किसी भी प्रावधान की संवैधानिक वैधता और विशेष रूप से

इस तरह के तर्क पर कर प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

[ अनुच्छेद 28,29] [841-एफ-एच; 842-ए] प्रशांति चिकित्सा सेवाएँ और अनुसंधान आधार v. भारत का संघ

7. अपीलार्थी ने आग्रह किया कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करने के लिए उचित विचार कर सकता है।

संविधान और अपीलार्थी को अपने दाताओं से 07.12.2015 दिनांकित अधिसूचना के संदर्भ में तीसरे वित्तीय वर्ष के लिए भी दान प्राप्त करने की अनुमति दें। यह निवेदन अधिक समय के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

एक से अधिक कारण। पहला, कर के मामले में, किसी भी करदाता के राजस्व के अधिकारों को तय करते समय न तो कोई समानता और न ही कठिनाई की कोई भूमिका होती है; दूसरा, एक बार कानून के अनुसार और विशेष रूप से कर के मामलों में कार्रवाई की जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को लागू करने का सवाल होता है। और तीसरा, अपीलार्थी के दानदाताओं को दो वित्तीय वर्षों 2015 और 2016 के दौरान धारा 35 एसी के तहत अपीलार्थी को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की कटौती का दावा करने की अनुमति दी गई थी। इन सभी कारणों से मामला वहीं रुकना चाहिए। [ पैरा 30,31] [842-बी-डी]

एस. एल. श्रीनिवास जूट ट्वाइन मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. , ( 2006 ) 2 एससीसी 740: [ 2006 ] 2 एससीआर 235;

संगम स्पिनर्स बनाम। क्षेत्रीय भविष्य निधि

आयुक्त I, (2008) 1 एस. सी. सी. 391: [ 2007 ] 12 एस. सी. आर. 883; आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम। वाटिका टाउनशिप प्रा. लिमिटेड (2015) 1 एस. सी. सी. 1 [2014] 12 एस. सी. आर. 1037; केरल राज्य और अन्र। वी. ग्वालियर रेयॉन रेशम विनिर्माण (डब्ल्यू. वी. जी.) कं. लि. आदि। (1973) 2 एस. सी. सी. 713 [1974] 1 एस. सी. आर. 671; मोतीलाल

पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम यू. पी. और अन्य का राज्य। , ( 1979 ) 2 एस. सी. सी. 409 [1979] 2 एस. सी. आर. 641; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य। , ( 1981 ) 4 एससीसी 675: [ 1982 ] 1 एस. सी. आर. 947; कासिंका ट्रेडिंग एंड एन. आर. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. , ( 1995 ) 1 एससीसी 274: [ 1994 ] 4 पूरक। एस. सी. आर. 448; बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य। , ( 2005 ) 1 एससीसी 625: [ 2004 ] 6 पूरक। एस. सी. आर. 264; श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। , ( 2011 ) 3 एससीसी 193: [ 2011 ] 3 एस. सी. आर. 134; बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड बनाम सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्र. , ( 2011 ) 1 एससीसी 640 [2010] 15 एससीआर 156; कोठारी औद्योगिक निगम लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और एएनआर। , ( 2016 ) 4 एससीसी 134: [ 2016 ] 1 एससीआर 564

संदर्भित किया गया।

19 ] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[ 2006 ] 2 एससीआर 235

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[ 2007 ] 12 एससीआर 883

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[ 2014 ] 12 एससीआर 1037

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[ 1974 ] 1 एससीआर 671

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[ 1979 ] 2 एससीआर 641

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

[ 1982 ] 1 एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[ 1994 ] 4 पूरक। एससीआर 448

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[ 2004 ] 6 पूरक। एससीआर 264

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[ 2011 ] 3 एससीआर 134

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

[ 2010 ] 15 एससीआर 156

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

[ 2016 ] 1 एससीआर 564

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5849

2019 से।

उच्च न्यायालय के 14.09.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के एस. सी. ए. सं. 7558 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार द्वारा।

अरविंद दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल

सुश्री देविका मोहन, निशांत राव, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मीनाक्षी ग्रोवर, पार्थी

गोस्वामी (श्रीमती अनिल कटियार के लिए), अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील अंतिम निर्णय और आदेश की तारीख के खिलाफ दायर की गई है।

14.09.2017 2017 के एस. सी. ए. No.7558 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

3. इनके निपटारे के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

अपील, जिसमें एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है।

4. इसमें अपीलार्थी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी हैं।

वे याचिका में प्रतिवादी हैं जिनसे यह अपील उत्पन्न होती है।

5. अपीलार्थी एक धर्मार्थ न्यास है जो इसके तहत पंजीकृत है

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के प्रावधान। अपीलार्थी ने अहमदाबाद में एक हृदय अस्पताल स्थापित किया है। अपीलार्थी के अस्पताल की परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 (05.05.2014) में हुई थी।

6. 27.09.2014 पर, अपीलार्थी ने धारा के तहत एक आवेदन दायर किया

35 सामाजिक और आर्थिक संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति को आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है)

कल्याण, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (इसके बाद "समिति" के रूप में संदर्भित) उनके अस्पताल को मंजूरी देने के लिए

अधिनियम की धारा 35 एसी में निर्दिष्ट परियोजना ताकि किसी भी " निर्धारिती को किसी भी राशि का भुगतान करके खर्च करना होगा।

अपीलार्थी को उनकी अनुमोदित अस्पताल परियोजना के निर्माण के लिए और तदनुसार उसके कुल से इस तरह के भुगतान की उचित कटौती का दावा करें। पिछले वर्ष की आय। अपीलार्थी की तरह, अधिनियम की धारा 35 एसी में निर्दिष्ट कई व्यक्तियों ने भी अपनी अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए समिति को आवेदन दिए।

7. भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी

07.12.2015 इसमें उल्लेख किया गया है कि समिति ने अधिनियम की धारा 35 एसी के तहत "योग्य परियोजनाओं" के रूप में 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अपीलार्थी का नाम दिनांकित अधिसूचना में क्रम संख्या 10 पर दिखाई देता है।

07.12.2015 . यह नीचे लिखा हैः

एस. नं.

का नाम

परियोजना या

अधिकतम

योजना और

संस्थान

में से

राशि

होना।

अनुमानित

लागत

इसकी लागत

अनुमति दी

गई

के रूप में

कटौती

खंड के

तहत

और

35 एसी

अवधि

में से

मंजूरी

प्रशांति

प्रशांति

द.

10 .

चिकित्सकीय

चिकित्सकीय

समिति

अनुशंसित

अनुसंधान

सेवाएँ और

फाउंडेशन,

के लिए

मंजूरी

पुनः खोज करें

फाउंडेशन,

श्री सत्य साई

परियोजना

में

अहमदाबाद

अनुमानित

दिल।

अस्पताल,

आर. एस. 250.00

में से

लागत

काशींद्र

करोड़

रु.

250.00

गाँव,

के लिए

करोड़

तीन वित्तीय

अहमदाबाद

ढोलका

वर्षों

रोड (गुजरात)

आरंभ करना

आर्थिक रूप से

वर्ष, 2015

16 , अर्थात। , 2015

16 , 2016-17

8. अपीलार्थी के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2015-2016 और 2016 के दौरान कई मूल्यांकनकर्ताओं से दान के रूप में राशि प्राप्त की

2017. इन मूल्यांकनकर्ताओं ने तब अपनी कुल आय से उस राशि की कटौती का दावा किया, जिसे उन्होंने अपनी अस्पताल परियोजना के लिए अपीलार्थी को दान किया था। अपीलार्थी के अनुसार, उन्हें तीन वित्तीय वर्षों में कई मूल्यांकनकर्ताओं से उनकी अस्पताल परियोजना के लिए दान प्राप्त हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

| वित्तीय वर्ष | रु. |
|---|---|
| 2015-16 | 10.97 करोड़ |
| 2016-17 | 20.55 करोड़ |
| 2017-18 | 3.84 करोड़ |

9. हालांकि, कटौती का दावा करने का लाभ वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा अधिनियम की धारा 35 एसी में उप-धारा (7) को शामिल करके निर्धारण वर्ष 01.04.2017 से बंद कर दिया गया था।

10. अधिनियम की धारा 35 एसी में उप-धारा (7) का यह सम्मिलन है, जिसने अपीलार्थी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को जन्म दिया। याचिका में अपीलार्थी ने संवैधानिक पर सवाल उठाया अधिनियम की धारा 35 एसी की उप-धारा (7) की वैधता इस आधार पर कि एक बार समिति ने तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए अपीलार्थी के अस्पताल परियोजना को मंजूरी दे दी, तो अधिनियम की धारा 35 एसी में उप-धारा (7) को शामिल करने के बल पर अपीलार्थी से इसे वापस नहीं लिया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, चुनौती इस आधार पर थी कि धारा 35 एसी की उप-धारा (7) अनिवार्य रूप से संभावित प्रकृति की है और इसलिए, यह उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी जिन्हें उप-धारा (7), यानी 01.04.2017 को शामिल करने से पहले समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। चुनौती इस आधार पर भी थी कि राजस्व उप-धारा (7) को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं कर सकता है और

उन लाभों को वापस लें, चाहे वे पूरी तरह से हों या आंशिक रूप से, जिन्हें मंजूरी दी गई थी

अपीलार्थी को। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी और निर्धारिती को दिनांकित अधिसूचना के संदर्भ में तीन वित्तीय वर्षों के लिए पूर्ण लाभ का लाभ उठाने का हकदार माना जाना चाहिए।

11. प्रत्यर्थी (राजस्व) ने धारा 35 एसी में उप-धारा (7) को शामिल करने का समर्थन किया और अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि, सबसे पहले, उप-धारा (7) संभावित प्रकृति की है; दूसरी बात यह है कि यह हर मामले में कार्य करती है।

समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन की परवाह किए बिना अपीलार्थी को समान रूप से व्यक्ति; तीसरा, उप-धारा (7), स्पष्ट रूप से, प्रशांति चिकित्सा सेवाएँ और अनुसंधान आधार प्रदान करती है।

भारत संघ [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

केवल निर्धारण वर्ष 2018-2019 से कटौती को बंद करना

इसके बाद; चौथा, वित्त मंत्री के बजट भाषण के अवलोकन से विधानमंडल का यह इरादा स्पष्ट है, जिसमें वित्त विधेयक, 2016 में संशोधित प्रावधानों को समझाते हुए खंडों और ज्ञापन पर टिप्पणी की गई है; पांचवां, अधिनियम की धारा 35 एसी के तहत निर्धारिती नहीं होने के कारण अपीलार्थी को इस मुद्दे को उठाने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वे किसी भी तरह से उप-धारा (7) को शामिल करने से प्रभावित हैं; छठा, अपीलार्थी को न तो ऐसे मामलों में कोई निहित अधिकार है और न ही उसे किसी भी विधायी शक्ति के प्रयोग के खिलाफ वचन बहिष्कार याचिका दायर करने का कोई अधिकार है जैसे कि संसद द्वारा उप-धारा (7) को सम्मिलित करते समय प्रयोग की गई शक्ति; और अंत में, अपीलकर्ता को

दो वित्तीय वर्षों (2015-2016 और 2016-2017) के दौरान अपनी अस्पताल परियोजना के लिए कई निर्धारिती और इसलिए, उप-धारा को शामिल करने के कारण अपीलार्थी को न तो कोई कठिनाई हुई है और न ही कोई पूर्वाग्रह हुआ है।

( 7 ) अधिनियम की धारा 35 एसी में। 12. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में चुनौती को खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी (राजस्व) द्वारा उठाई गई याचिकाओं को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने इस न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी द्वारा इस अपील को दायर करने को जन्म दिया है।

13. श्री अरविंद दातार, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री के. राधाकृष्णन, विद्वान वरिष्ठ वकील

14. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने उपरोक्त प्रस्तुतियों को दोहराया, जिनका उच्च न्यायालय में आग्रह किया गया था, और विस्तार से तर्क देते हुए कहा कि अपीलार्थी के साथ-साथ उन निर्धारकों को भी, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अपीलार्थी को भुगतान किया था, उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-2018 (मूल्यांकन वर्ष 2018-2019) के दौरान भी कटौती का दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। 01.04.2017 से अधिनियम की धारा 35AC में उप-धारा (7) के सम्मिलन के बावजूद।

15. उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने एस. एल. श्रीनिवास जूट ट्वाइन मिल्स (पी) में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया।

लिमिटेड बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. , ( 2006 ) 2 एससीसी 740, संगम स्पिनर्स बनाम। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त I, (2008) 1 एससीसी 391

और आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (2015) 1 एस. सी. सी. 1.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. जवाब में, प्रत्यर्थी (राजस्व) के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया और अपील को खारिज करने का अनुरोध किया। विद्वान वकील ने केरल और अन्र राज्य में निर्णयों पर भरोसा रखा। बनाम ग्वालियर रेयॉन सिल्क

विनिर्माण (डब्ल्यू. वी. जी.) कं. लिमिटेड आदि। , (1973) 2 एस. सी. सी. 713, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। , ( 1979 ) 2 एस. सी. सी. 409, आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य। , ( 1981 ) 4 एस. सी. सी. 675, कासिंका ट्रेडिंग एंड एन. आर. बनाम भारत संघ और एएनआर। , ( 1995 ) 1 एस. सी. सी. 274, बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य। , ( 2005 ) 1 एस. सी. सी. 625, श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड और अन्य। बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। , ( 2011 ) 3 एस. सी. सी. 193, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड बनाम सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्र. , ( 2011 ) 1 एस. सी. सी. 640 और कोठारी औद्योगिक निगम लिमिटेड बनाम तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और एन. आर. , ( 2016 ) 4 एससीसी 134।

17. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं

उच्च न्यायालय का विवादित आदेश।

18. अधिनियम में धारा 35 एसी को 01.04.1992 के प्रभाव से जोड़ा गया था, जबकि उप-धारा (7), जो इस अपील की विषय वस्तु है, को 01.04.2017 के प्रभाव से धारा 35 एसी में डाला गया था, जो निम्नानुसार हैः

" 35 एसी। ( 1 ) जहाँ एक निर्धारिती द्वारा कोई व्यय किया जाता है -

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अनुमोदित संघ या संस्थान को किसी भी राशि के भुगतान का तरीका

किसी भी पात्र कार्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा परियोजना या योजना, निर्धारिती, के अधीन

इस धारा के प्रावधानों को पूर्ववर्ती अवधि के दौरान किए गए ऐसे व्यय की राशि की कटौती की अनुमति दी जाए। वर्षः

बशर्ते कि कोई कंपनी, इस उप-धारा के तहत कटौती का दावा करने के लिए, उपरोक्त किसी भी राशि के भुगतान के माध्यम से या सीधे पात्र परियोजना या योजना पर खर्च कर सकती है। ( 2 ) उप-धारा (1) के तहत कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जब तक कि निर्धारिती अपनी विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं करता है

स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएँ और अनुसंधान फाउंडेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। भारत संघ [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

( क) जहां भुगतान किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी संघ या संस्थान को, ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, संघ या संस्थान से किया जाता है;

( ख) किसी अन्य मामले में, एक लेखाकार से, जैसा कि परिभाषित किया गया है

धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में ऐसे रूप, तरीके और ऐसे विवरण शामिल हैं।

( योग्य परियोजना या योजना से संबंधित कार्य में प्रगति से संबंधित विवरण सहित

( क) ऐसे संघ या संस्थान को दी गई मंजूरी वापस ले ली गई है; या ( ख) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई योग्य परियोजना या योजना को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना।

या संघ या संस्था को वापस ले लिया गया है। ( 3 ) जहां इस धारा के तहत कटौती का दावा किया जाता है और किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इसकी अनुमति दी जाती है।

इसके बाद ( i) उस समिति का समाधान है कि परियोजना या योजना को उन सभी या किसी भी शर्त के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है जिसके अधीन अनुमोदन दिया गया था; या [2019] 9 एस. सी. आर.

( (ii) ऐसा संघ या संस्थान, जिसे मंजूरी दी गई है, ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय समिति को इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

और ऐसे विनिर्देशों को निर्धारित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जाए,

राष्ट्रीय समिति, किसी भी समय, दे सकती है

संबंधित संघ या संस्थान को प्रस्तावित वापसी के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर, अनुमोदन वापस लें: बशर्ते कि अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय समिति द्वारा संबंधित संघ या संस्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को भेजी जाएगी।

( 5 ) जहां किसी परियोजना या योजना को खंड (बी) के तहत एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया गया है

स्पष्टीकरण, और बाद में

( i) राष्ट्रीय समिति संतुष्ट है कि परियोजना या योजना को उन सभी या किसी भी शर्त के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है जिसके अधीन ऐसी परियोजना या योजना को अधिसूचित किया गया था; या ( (ख) ऐसी पात्र परियोजना या योजना के संबंध में एक रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरणों को प्रस्तुत करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जाए, प्रस्तुत नहीं की गई है।

ऐसी अधिसूचना को उसी तरीके से वापस लिया जा सकता है जिस तरीके से इसे जारी किया गया था:

बशर्ते कि दिखाने का एक उचित अवसर

संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो सकता है: बशर्ते कि अधिसूचना की एक प्रति जिसके द्वारा पात्र परियोजना या योजना की अधिसूचना वापस ले ली गई हो

संबंधित संघ, संस्था, हस्त चिकित्सा सेवाएँ और अनुसंधान फाउंडेशन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी को भेजा जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसी योग्य परियोजना या योजना को आगे बढ़ा रहे हैं।

( 6 ) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां

उप-धारा (1) योग्य परियोजना या योजना पर सीधे किए गए किसी भी व्यय के संबंध में और ऐसी परियोजना या योजना के लिए अनुमोदन राष्ट्रीय समिति द्वारा उप-धारा (5) के तहत वापस ले लिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या संघ या संस्था, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राप्त भुगतान की कुल राशि, जिसके संबंध में ऐसी कंपनी या प्राधिकरण या संघ या संस्था ने

उप-धारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या उप-धारा (1) के परंतुक के तहत किसी कंपनी द्वारा दावा की गई कटौती को ऐसी कंपनी या प्राधिकरण या संघ या संस्था की आय माना जाएगा, जैसे -

अप्रैल, 2018 का पहला दिन। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

( क) "राष्ट्रीय समिति" से इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है; [2019] 9 एस. सी. आर.

( ख) "पात्र परियोजना या योजना" से ऐसी परियोजना या योजना अभिप्रेत है जो जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने या उनके उत्थान के लिए है जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर "।

19. यह विवाद में नहीं है कि समिति द्वारा दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी (27) उप-धारा (7) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने के लिए आगे नहीं आया है, सिवाय इसके कि इसमें अपीलकर्ता। दूसरे शब्दों में, 28 परियोजना मालिकों में से जिनकी परियोजनाओं को समिति द्वारा दिनांकित अधिसूचना द्वारा अनुमोदित किया गया था

07.12.2015 , इसमें केवल अपीलार्थी ने ही व्यथित महसूस किया है और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

20. चाहे जो भी हो, जैसा कि प्रत्यर्थी (राजस्व) के विद्वान वकील द्वारा सही तर्क दिया गया हो, वास्तविक पीड़ित पक्ष, जिन्हें अधिनियम की धारा 35 एसी में उप-धारा (7) को शामिल करने से व्यथित महसूस करना चाहिए था, वे निर्धारिती थे, अर्थात, दानदाता जो दान देने के बावजूद

अपीलार्थी को वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी कुल आय से उक्त राशि की कटौती का दावा करने की अनुमति नहीं थी।

21. दूसरे शब्दों में, मुख्य उद्देश्यों में से एक जिसके लिए धारा 35 एसी अधिनियमित की गई थी, वह थी निर्धारिती को अपनी परियोजना के लिए अपीलार्थी को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की कटौती का दावा करने की अनुमति देना। 22. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी भी पात्र परियोजना को राशि का भुगतान करने का दावा करने वाले निर्धारिती (डोनी) में से कोई भी आगे नहीं आया

शिकायत की कि अपनी परियोजना के लिए अपीलार्थी को राशि दान करने के बावजूद, उन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 35 एसी की उप-धारा (7) के आधार पर अपनी कुल आय से ऐसी राशि की कटौती का दावा करने के लाभ से वंचित कर दिया गया था।

23. यह विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा 35 एसी के तहत उपलब्ध कटौती का लाभ सभी निर्धारिती द्वारा विधिवत रूप से लिया गया था

24. विवाद अब केवल तीसरे वित्तीय वर्ष तक सीमित है, अर्थात 2017-2018 क्योंकि इस वर्ष के लिए, निर्धारिती को अनुमति नहीं थी अधिनियम की धारा 35 एसी में उप-धारा (7) को अंतःस्थापित करने के कारण अपीलार्थी को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की कटौती का दावा 01.04.2017 से प्रभावी है।

25. हमारा विचार है कि उप-धारा (7) में संभावित है

संचालन और इसलिए, सभी निर्धारिती को दो वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2015-2016 और 2016-2017 के दौरान अपनी कुल आय से योग्य परियोजनाओं को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की कटौती का दावा करने की अनुमति दी गई थी। यदि उप-धारा (7) को इसके संचालन में पूर्वव्यापी किया गया होता तो 2015-2016 और 2016-2017 के लिए भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाती। मान लीजिए, यहां ऐसा नहीं है।

26. जैसा कि प्रत्यर्थी (राजस्व) के विद्वान वकील द्वारा सही तर्क दिया गया है, विधायी शक्ति के प्रयोग के खिलाफ किसी निर्धारिती के लिए वचन-निरसन की याचिका उपलब्ध नहीं है और न ही किसी निर्धारिती को कोई कर रियायत देने के मामले में कोई निहित अधिकार प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, न तो अपीलार्थी और न ही निर्धारिती को विधायी शक्ति के प्रयोग के खिलाफ वचन-निषेध याचिका दायर करने का कोई अधिकार है, जैसे कि अधिनियम की धारा 35 एसी में उप-धारा (7) डालने के दौरान प्रयोग की गई शक्ति (देखें-मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (ऊपर) और अन्य मामले जिन पर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने भरोसा किया था।

राजस्व)। यह तब अधिक होता है जब हम पाते हैं कि इस उप-धारा को सभी के लिए समान रूप से लागू किया गया था-अपीलार्थी संभावित रूप से। 27. यह विवाद में नहीं है कि अब कुल आय में से कटौती का दावा करने के लिए योग्य परियोजनाओं को राशि दान करने का समय आ गया है।

28. हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कहा कि अपीलार्थी को वर्ष 2017-2018 के दौरान 3.84 करोड़ प्राप्त हुए हैं। विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं से। यह भी कहा गया था कि यदि उप-धारा (7) अपीलार्थी की परियोजना पर लागू नहीं होती तो अपीलार्थी को रुपये से बहुत अधिक राशि प्राप्त होती। वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान 3.84 करोड़ रुपये, जो उप-धारा (7) को शामिल करने से पहले दो वर्षों में अपीलार्थी द्वारा प्राप्त राशि से स्पष्ट है। 10.97 वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान करोड़ और रु। 20.55 वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान करोड़।

29. हम इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। एक कराधान कानून में, एक याचिका

समानता या/और कठिनाई के आधार पर कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। संवैधानिक [2019] 9 एस. सी. आर.

किसी भी प्रावधान की वैधता और विशेष रूप से कर प्रावधान को इस तरह के तर्क पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

30. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तब आग्रह किया कि

इस तथ्य के लिए कि अपीलार्थी ने एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की है और वे तीसरे वित्तीय वर्ष में अपनी परियोजना के लिए दान के माध्यम से अधिक राशि प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का आह्वान करना उचित समझ सकता है और

अपीलार्थी को अपने दाताओं से 07.12.2015 दिनांकित अधिसूचना के संदर्भ में तीसरे वित्तीय वर्ष के लिए भी दान प्राप्त करने की अनुमति दें।

31. हम डरते हैं कि हम एक से अधिक कारणों से इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते। पहला, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कर मामले में, राजस्व के संबंध में किसी भी करदाता के अधिकारों का निर्णय करते समय न तो कोई इक्विटी और न ही कठिनाई की कोई भूमिका होती है; दूसरा, एक बार कानून के अनुसार और विशेष रूप से कर मामलों में कार्रवाई होने के बाद, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को लागू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है; और तीसरा, अपीलार्थी के दाताओं को दो वित्तीय वर्षों 2015-2016 और 2016-2017 के दौरान धारा 35AC के तहत अपीलार्थी को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की कटौती का दावा करने की अनुमति दी गई थी। इन सभी कारणों से मामला वहीं रुकना चाहिए।

32. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने एस. एल. श्रीनिवास जूट ट्वाइन मिल्स (पी) लिमिटेड (ऊपर), संगम के निर्णय पर भरोसा व्यक्त किया।

स्पिनर (ऊपर) और सी. आई. टी. बनाम वाटिका टाउनशिप प्रा. लिमिटेड, (ऊपर)। हमारे विचार में, पूर्वगामी चर्चा और अभिलिखित निष्कर्षों के आलोक में, इन निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत पर आधारित तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमें इस मुद्दे से निपटने की आवश्यकता नहीं है।

अधिक। 33. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान